समक्ष कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उपस्थित : बी0 राम शास्त्री, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रा0प0सं0:64/12 अन्तर्गत धारा-59 उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008

प्रार्थी सर्वश्री अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 पथरहिया, मीरजापुर।

प्रार्थी की ओर से श्रीमती कल्पना रानी गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता।

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 पथरहिया, मीरजापुर द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-64 / 12, दिनांक 12.12.2012 प्रस्तुत करते हुए यह पूछा गया है कि**. '' टावर पार्ट्स पर प्रवेश कर की देयता बनती है कि नहीं ? ''**

2. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता-श्रीमती कल्पना रानी गुप्ता उपस्थित हुईं तथा उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रार्थी द्वारा विभिन्न कम्पनियों से ट्रान्समिशन लाइनें बनाने हेतु गैल्वनाइज्ड ट्रान्समिशन टावर्स का क्रय किया जाता है। यह टावर अलग-अलग साइज के होते हैं और जिनका निर्धारित वजन व प्रारूप होता है। टावर निर्धारित वजन से कम होता है तो संस्था उसे विक्रेता फर्म से स्वीकार नहीं करती है और इस प्रकार निर्धारित वजन एवं स्पेशिफिकेशन के अनुसार ही टावर का क्रय किया जाता है। इन टावर को माइल्ड स्टील से '' पार्ट्स फार्म '' में बनाकर गैल्वनाइज किया जाता है। गैल्वनाइज्ड टावर, असेम्बील्ड फार्म में ही ट्रक द्वारा नहीं आयात किया जा सकता है जिसके कारण उसे पार्ट्स के रूप में आयात करके साइट पर भेजा जाता है और वहीं डिजाइन अनुसार नट, बोल्ट एवं वाशर की सहायता से असेम्बील्ड करके खड़े किये जाते हैं। आयात करते समय फार्म-38 पर नट, बोल्ट, वाशर एवं टावर पार्ट्स लिखा जाता है। इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा ट्रान्समिशन टावर का ही आयात, '' टावर पार्ट्स '' के रूप में किया जाता है जिसका उल्लेख उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-127 पर है। अत: ट्रान्समिशन टावर पार्ट्स, लोहा व इस्पात नहीं है और इस पर प्रवेश कर की देयता नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में आडिट द्वारा भी यह आपत्ति इंगित की गयी है कि उक्त पर प्रवेश कर की देयता नहीं है। सुलभ सन्दर्भ हेतु आडिट रिपोर्ट की छाया प्रति प्रस्तुत की जा रही है।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-द्वितीय, वाराणसी के पत्र संख्या-142, दिनांक 18.04.2013 व पत्र संख्या-185, दिनांक 26.04.2013 से प्राप्त आख्या में कहा गया कि प्रार्थी द्वारा विद्युत प्रेषण हेतु, जो टावर पार्ट्स प्रान्त बाहर से आयात किये जाते हैं, वह मुख्य रूप से लोहा व इस्पात के होते हैं जिसे एसेम्बुल्ड करके निश्चित साइट पर स्थापित किया जाता है। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम-1956 की धारा-14 के क्रमांक-V पर दी गयी प्रविष्टि-'' स्टील स्ट्रक्चरल्स (एंगल्स, ज्चाइस्ट्स, चेनल्स, टीज, शीट पिलिग सेक्शन्स, जेड सेक्शन्स आर एनी अदर रोल्ड सेक्शन्स) '' के अनुसार यह लोहा व इस्पात है जिस पर प्रवेश कर की देयता 5% की दर से बनती है। यह भी कहा गया कि प्रार्थी द्वारा इस पर नियमित रूप से

....2

प्रवेश कर जमा किया गया है । प्रार्थी के वर्ष 2008-09, 2009-10 व 2010-11 के कर निर्धारण वादों का निस्तारण, प्रवेश कर अधिनियम की धारा-9 (4) में, क्रमश: आदेश दिनांक 12.07.2012, 26.04.2012 व 01.04.2012 को पारित करते हुए, रु0 3,60,219/-, 1,82,076/- व 40,78,211/- प्रवेश कर आरोपित किया गया, जिसको व्यापारी द्वारा जमा भी किया गया है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) में यह व्यवस्था है कि जिस मामले में अन्तिम कर निर्धारण आदेश पारित किया जा चुका है उसमें धारा-59 के अन्तर्गत विधिक रूप से निर्णय नहीं किया जा सकता है । प्रार्थी के मामले में वर्ष 2008-09, 2009-10 व 2010-11 का अन्तिम कर निर्धारण आदेश प्रवेश कर अधिनियम की धारा-9 (4) के अन्तर्गत पारित करते हुए, प्रवेश कर आरोपित किया जा चुका है जिसको प्रार्थी द्वारा जमा भी कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) के प्राविधानों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है ।

4. प्रस्तुत कर्ता अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) के अनुसार '' कोई प्रश्न जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो इस धारा के अधीन विनिश्चय के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा '' । प्रार्थी के मामले में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-द्वितीय, वाराणसी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008-09, 2009-10 व 2010-11 के मामले में अन्तिम कर निर्धारण करते हुए प्रवेश कर निर्धारित किया जा चुका है जिसको व्यापारी द्वारा जमा भी कर दिया गया है । सुनवाई के समय व्यापारी ने भी आडिट रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की थी, जिससे भी स्पष्ट है कि जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है वह व्यापारी के वर्ष 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में किये गये पूर्ववर्ती आदेश में उत्पन्न हुआ है, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) के प्राविधान के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-द्वितीय, वाराणसी द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि व्यापारी द्वारा जिस वस्तु पर प्रवेश कर की स्थिति के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न पूर्व से ही कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष व्यापारी के वर्ष 2008-09, 2009-10 व 2010-11 के कर निर्धारण वादों के क्रमश: निस्तारण दिनांक 12.07.2012, 26.04.2012 व 01.04.2012 से उत्पन्न हुआ है । यह तथ्य प्रार्थी द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत आडिट रिपोर्ट की प्रति से भी प्रमाणित है । उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) के प्राविधानों के अनुसार '' कोई प्रश्न जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी के मामले में दिये गये पूर्ववर्ती आदेश से उत्पन्न हो इस धारा के अधीन विनिश्चय के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा । '' प्रार्थी के मामले में धारा-59 के अन्तर्गत पूछा गया प्रश्न कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष पूर्व से ही उत्पन्न हो चुका है । अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (4) के प्राविधान के अनुसार व्यापारी का प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता

....3

है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 29 अप्रैल, 2013

ह0 / 29.04.2013

(बी0 राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।